संख्या-161/2025/832/22-2-2024-17(278)/2020

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 24 फरवरी, 2025

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्री केशन उर्फ केशन पुत्र श्री रेवती, निवासी जनपद-सीतापुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-14185/प्रो0अनु0(2)-256/2023 (बैठक दिनांक 05.09.2023), दिनांक 27.05.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्री केशन उर्फ केशन पुत्र श्री रेवती, ग्राम-बाकरपुरवा, मजरा-ईरापुर सुतौली, थाना-रेऊसा, जनपद-सीतापुर का निवासी है। दिनांक 30.06.2004 एवं 01.07.2004 की रात्रि करीब 11.30 बजे पैसो के लेन देन को लेकर बंद सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हरद्वारी, सोहन व माधुरी की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 62/05 में भा0द0सं0 की धारा-147,148, 302/149 व 2/3 यू0पी0 गै0एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय स्पेशल जज गै० एक्ट, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.07.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2023 तक 18 वर्ष 11 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 07 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 25.08.2023 तक 51 वर्ष 01 माह 07 दिन है।

पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा अपनी आख्या में अंकन किया गया है कि बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है। बंदी के कारागार से रिहा होने पर वह भविष्य पुनः अपराध कर सकता है। बंदी पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं हुआ है, वादी की सुरक्षा व न्यायहित में बंदी को कारागार में निरूद्ध रहना आवश्यक है। बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक दशा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने के कारण रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। किमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी० श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा० उच्चतम् न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा० दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

सलाहकार समिति का अभिमत है कि दिनांक 30.06.2004 एवं 01.07.2004 की रात्रि करीब 11.30 बजे पैसो के लेन देन को लेकर बंदी द्वारा अपने 05 अन्य सहअभियुक्त मिलकर हरद्वारी, सोहन व माधुरी की गोली मारकर हत्या कर दी । बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति तक सीमित अपराध की श्रेणी में आता है। बंदी कारागार से रिहा होने पर भविष्य में पुनः अपराध कर सकता है। बंदी पुनः अपराध क अशक्त न होने, वादी की सुरक्षा व न्यायहित में बंदी को कारागार में निरूद्ध रहना आवश्यक होने, बंदी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति उपयुक्त न होने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दु आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीर जघन्यता के दृष्टिगत सी०आर०पी०सी० की धारा-432 द०प्र०सं० के अर्न्तगत सिद्धदोष बन्दी श्री केशन उर्फ केशन पुत्र श्री रेवती को उ0प्र0 मैनुअल प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी श्री केशन उर्फ केशन (बन्दी संख्या-384/17) पुत्र श्री रेवती, निवासी जनपद-सीतापुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-161/2025/832(1)/22-2-2024 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) डायरी संख्या-28783/2023 सुरेन्द्र उर्फ सुण्डा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.11.2024 एवं दिनांक 17.12.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्वत
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।